पाठ 15

राष्ट्रपति एवं केन्द्रीय मंत्रि-परिषद्

आइए सीखें

- राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ, चुनाव एवं शक्तियाँ।
- उपराष्ट्रपति पद की अर्हताएँ, चुनाव एवं शक्तियाँ।
- प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रि-परिषद् का गठन एवं कार्य।

सम्पूर्ण देश के लिए काम करने वाली सरकार को केन्द्रीय सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। इस पाठ में केन्द्रीय सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में सीखेंगे। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् शामिल हैं।

संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती हैं— (1) नाममात्र की कार्यपालिका एवं (2) वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका में देश का प्रधान (राष्ट्रपति) केवल संवैधानिक प्रधान होता है। उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रि-परिषद् करती है। नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचित अथवा वंशानुगत हो सकता है। इंग्लैण्ड में यह वंशानुगत है तथा भारत में निर्वाचित होता है। वास्तविक कार्यपालिका में देश का मुखिया निर्वाचित होता है तथा शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति, भारत के शासन का प्रमुख होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।

भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नांकित अर्हताएँ आवश्यक हैं—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
4. वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।

राष्ट्रपति का चुनाव राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद् तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं।

कानून बनाने में राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका होती है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। राष्ट्रपति यदि चाहे तो विधेयक को

पुनः विचार के लिए सदन को दोबारा लौटा सकते हैं। वे कोई सुझाव भी विधेयक में शामिल करने के लिए दे सकते हैं। यदि संसद के दोंनो सदन दोबारा उसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान करना ही पड़ती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं–

- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं।
- राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- जब संसद की बैठकें न हो रही हों तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हें कानून के ही समान मान्यता प्राप्त है।
- राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, अतः इन्हें क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया गया हो, उसे राष्ट्रपति, चाहें तो माफ कर सकते हैं या मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं।

कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो महाभियोग द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति

हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश कार्य न कर रहे हों तो उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों को सम्पन्न करता है।

उपराष्ट्रपति चुने जाने की योग्यताएँ राष्ट्रपति के समान ही हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर चर्चा करवाते हैं। किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं।

प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रि-परिषद्

हमारे संविधान में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है। मंत्रि-परिषद् का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।

हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसे ही संघीय मंत्री-परिषद् कहते हैं।

संघीय मंत्रि-परिषद् का सदस्य कौन हो सकता है?

जो व्यक्ति संसद के किसी सदन के सदस्य होते हैं, वे ही प्रायः मंत्री बनाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो उसे छः माह के भीतर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री एवं मंत्रि-परिषद् के कार्य

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मंत्रि-परिषद् का गठन करता है। मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करता है। वह मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। उसके त्यागपत्र देने पर मंत्रिमण्डल का विघटन हो जाता है।

देश की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों (मंत्रि-परिषद्) की होती है। मंत्रिमण्डल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा एवं विदेशी राज्यों से संबंध, संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। मंत्रि-परिषद् के कई विभाग (मंत्रालय) जैसे- गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि होते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए–

(1) राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है–

(अ) 6 वर्ष (ब) 1 वर्ष

(स) 5 वर्ष (द) 4 वर्ष

(2) क्षमादान का अधिकार प्राप्त है–

(अ) प्रधानमंत्री को (ब) रक्षामंत्री को

(स) उपराष्ट्रपति को (द) राष्ट्रपति को

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(1) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन ..... होता है।

(2) मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ..... करता है।

(3) राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों और ..... के सदस्य मतदान करते हैं।

(4) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ..... के द्वारा की जाती है।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में क्यों भाग नहीं लिया जाता है?

(2) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है?

(3) संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती हैं?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन-कौन सी अर्हताएँ आवश्यक हैं?

(2) राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों का वर्णन कीजिए?

परियोजना कार्य–

- रविवार के दिन अपने अभिभावकों की मदद से अपने गाँव/नगर के स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र विकास के लिए किए गए कार्यों की सूची तैयार कीजिए।